

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*\*

No. 2014/TG-I/20/P/PRS Ticket/1

New Delhi, Dated 29.06.2015

**The Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.**


**(Commercial Circular No.37 of 2015)**

**Sub: Serial numbering of PRS ticket rolls.**

\*\*\*\*\*

Please refer to this office letter No. 99/TG-I/20/P dated 11.08.1999 (Commercial Circular No. 24 of 1999) wherein it was inter alia advised that all Zonal Railways should adopt a uniform system of ticket rolls of 200 tickets starting from serial No. 000 to 199.

2. It has, however, been brought to the notice of this office that different zonal Railways are adopting different patterns on this account. On some Railways numbering pattern is from 000 to 199 whereas on others it is in continuation from 000 to 199, 200 to 399 and so on. The matter has been examined in this office and it has been decided that all zonal Railways should adopt a uniform pattern of numbering of PRS ticket rolls which will start from 000 to 199, 200 to 399, 400 to 599 and so on. It will be ensured that that this pattern should be adopted after exhausting the current stock of PRS stationery but not later than 01.01.2016, after which all the PRS tickets should have the above said serial number pattern on the ticket rolls.

  
**(Sanjay Manocha)**  
**Dy. Director Traffic Comml(G)-II**  
**Railway Board**

**Copy to:**

1. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
2. CCM/PMs and CCM/PSSs, all zonal railways.
3. MD/IRCTC, 9<sup>th</sup> Floor, Statesman Building, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
4. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC,F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Bhuli/Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SC Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, North Western Railway, Udaipur.
7. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
8. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.365-A, Rail Bhawan, New Delhi.
10. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, All India RPF Association, Room No.549, Rail Bhawan, New Delhi.
12. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/टीजी-1/20/पी/पीआरएस टिकट/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.06.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 37)

विषय: पीआरएस टिकट रॉल्स की क्रम संख्या।

\*\*\*\*\*

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 11.08.1999 के पत्र सं. 99/टीजी-1/20/पी (1999 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 24) का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि सभी क्षेत्रीय रेलें क्रम सं. 000 से आरंभ करके 199 तक 200 टिकटों के टिकट रॉल्स के लिए एकसमान प्रणाली अपनाएं।

2. बहरहाल, इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि अलग-अलग क्षेत्रीय रेलें इसके लिए अलग-अलग पद्धति अपना रही हैं। कुछ रेलों में, नम्बर देने की प्रद्धति 000 से 199 तक है जबकि दूसरे रेलों में यह 000 से आरंभ होकर 199 तक और उसके आगे 200 से 399 तक और इसी प्रकार इससे आगे भी है। इस मामले की इस कार्यालय में जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि सभी क्षेत्रीय रेलें पीआरएस टिकट रॉल्स पर नम्बर देने की एकसमान पद्धति अपनाएं जो 000 से आरंभ होकर 199 तक और उसके आगे 200 से 399 तक, 400 से 599 तक और इसी प्रकार इससे आगे भी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह पद्धति पीआरएस स्टेशनरी का वर्तमान स्टॉक समाप्त होने के बाद, परन्तु अधिक-से-अधिक 01.01.2016 तक अपनाई जाएगी जिसके बाद सभी पीआरएस टिकटों के टिकट रॉल्स पर उपर्युक्त पद्धति से क्रम संख्या दी जाएगी।

  
(संजय मनोचा)

उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)-II  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, 9वीं मंजिल, स्टेट्समैन बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ(सी) एवं वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
8. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
9. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 365-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (इरपोफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 549, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.